

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या: 1163/2026**

मनोज कपूर

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

अमित कुमार सिंह और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : तुषार मित्तल, मधुर झावर, रामेंद्र यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :

न्यायालय सं0 - 5**माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर**

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री उत्कर्ष वर्धन सिंह के द्वारा सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा को सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देना जरूरी नहीं समझा जाता है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि प्रत्यर्थी सं0 1 ने उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिसे आगे राज्य आयोग कहा जाएगा) में एक परिवाद दाखिल किया है। इसमें प्रत्यर्थी को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वे उसी विनिर्देश और दाम वाला कोई दूसरा बंगला, जो हर तरह से पूरा हो, किसी दूसरी स्कीम के तहत आवंटित करें। साथ ही, वादी की जमा की गई रकम पर जमा करने की तारीख से लेकर दूसरे घर का असल कब्ज़ा मिलने तक 18% की दर से ब्याज दें। साथ ही, हर वादी को, प्रत्यर्थी पक्षकार के खिलाफ, प्रत्यर्थी पक्षकार की खराब सेवा की वजह से हुए मानसिक तनाव और तकलीफ के लिए हर्जाने के तौर पर 20,00,000/- रुपये भी दिए जाएं। साथ ही, गलत तरीके से संपर्क करने की वजह से हुए मानसिक तनाव और तकलीफ के लिए भी हर्जाना दिया जाए।

4. यह बताया गया है कि इस कार्रवाई में, याचिकाकर्ता को कभी भी पक्षकार नहीं बनाया गया और वाद लंबित रहने के दौरान ही दि० 05.11.2024 को एक अंतर्वर्ती आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया गया कि वे शिकायत करने वाले द्वारा जमा किए गए Rs. 9,93,000/- की रकम 10% ब्याज के साथ प्रत्यर्थीगण को वापस करें।
5. बाद की कार्रवाई के दौरान, राज्य आयोग के सामने पेश होने वाले प्रत्यर्थी ने भरोसा दिया था कि वे दि० 05.11.2024 के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उस आदेश का कभी पालन नहीं किया गया और सुनवाई की अगली तारीखों पर समय मांगा गया। ऐसा लगता है कि दि० 26.11.2025 को जब वाद शुरू हुआ तो प्रत्यर्थीगण की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ और इन हालात में राज्य आयोग ने पूरी आदेशिका फिर से पेश की और इस बात का कड़ा संज्ञान लिया कि बार-बार मौके दिए जाने के बावजूद प्रत्यर्थीगण दि० 05.11.2024 के उनके निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे और इन हालात में राजेश्वर राव, मनोज कपूर (याचिकाकर्ता) और विनय तिवारी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किए और 50,000/- रुपये की प्रतिभू देने को भी कहा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. याचिकाकर्ता की शिकायत सिर्फ़ इस बात को लेकर है कि पहली बात तो यह कि राज्य आयोग के सामने जो विवाद लंबित है, उससे उसका कोई लेना-देना नहीं है, दूसरी बात यह कि उसे कभी भी इस कार्रवाई में प्रतिवादी नहीं बनाया गया और आखिर में, राज्य आयोग ने याचिकाकर्ता के खिलाफ़ जमानतीय वारंट जारी करने के लिए कोई मौका नहीं था।
7. मैंने याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख भी देखा है।
8. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य आयोग के सामने कार्यवाही अभी भी लंबित है और ऐसा लगता है कि सिर्फ़ अंतर्वर्ती आदेश का पालन पक्का करने के लिए दि० 26.11.2025 का आदेश पारित किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ़ जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं।
9. बहस के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता राज्य आयोग के सामने कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य आयोग के लिए ऊपर बताए गए हालात में याचिकाकर्ता के खिलाफ़ जमानतीय वारंट जारी करने का कोई मौका नहीं था।
10. याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई दलीलों को देखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और याचिकाकर्ता को अगली सूची की तारीख दि० 25.05.2026 को राज्य आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है, जिसके बारे में इस न्यायालय को बताया गया है कि यह दि० 25.05.2026 है और इसलिए 26.11.2025 का आदेश बदला जाएगा और याचिकाकर्ता के खिलाफ़ जारी बलपूर्वक प्रक्रिया वाली कार्रवाई रोक दी जाएगी।
11. एक बार जब याचिकाकर्ता राज्य आयोग के सामने पेश होता है, तो वह वादी की बात का विरोध करने के लिए अपने पास मौजूद सभी दलीलें दे सकता है। यह भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कहा गया है कि अगर याचिकाकर्ता इस न्यायालय के निर्देश के मुताबिक राज्य आयोग के सामने पेश नहीं होता है, तो उसे इस आदेश का फायदा नहीं मिलेगा।

26 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

रवी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।